न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 96/2025

श्री मोहसिन राशीद खान निवासी राज टाकीज रोड. वार्ड संख्या 19 टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **9.12.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1. राजस्थान स्टेट टेनरी, जो की टोंक में जयपुर कोटा नेशनल हाई वे, बनास के नए पुल के पास स्थापित की गई थी. उसको किस वर्ष में और किन शर्तों पर प्राइवेट कपनी या व्यक्तियो को दिया गया था।

2 उक्त राजस्थान स्टेट टेनरी, टोंक के लिए जो भूमि ली गई थी. वह कितनी भूमि थी और वर्तमान में उक्त भूमि किसके नाम है यह बताएँ एवं भूमि के खसरा नंबर प्रदान करें।

3 राजस्थान स्टेट टेनरी, टोंक क्या टोंक टेनरी के नाम से टोक टेनरी प्रा लि के अधीन या टोंक टेनरी के डायरेक्टरों के अधीन है ?

4 राजस्थान टेनरी, टोक, के लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई थी, क्या उक्त भूमि का लेंड यूज़ बदला गया है?

5. राजस्थान टेनरी, टोंक, के लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई थी, क्या उक्त भूमि का लेंड यूज़ बदलने की कार्यवाही की जा रही है" अगर हाँ तो उक्त फ़ाइल के प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करे।

6. राजस्थान स्टेट टेनरी, को निजी कंपनी या व्यक्तियों को दिया गया उसके बाद किस वर्ष तक इस प्राइवेट कंपनी या व्यक्तियो ने उक्त टेनरी को चलाया और यह कब से बंद पड़ी है?

7. वर्तमान में उक्त टेनरी जिन व्यक्तियों या जिस भी कंपनी के अधीन है, उन व्यक्तियों या कंपनी के डायरेक्टरों के नाम व पता प्रदान करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 2016 दिनांक 16.10.2025 व 2088 दिनांक 30.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 1051 दिनांक 14.11.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 1000 दिनांक 31.10.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते

750

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

हुए पत्र कमांक 1001 दिनांक 31.10.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 2179 दिनांक 14.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 8988 दिनांक 19.11.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 8985 दिनांक 19.11.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक